



अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 6600035812

LICENCE NO. CM/L - 6600035812

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मैसर्स. श्रीकर इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

सर्वे नो. 856/2, टिक्कावरम (गाँव)

छिलाकुर(मण्डल)

एसपीएसआर नेल्लोरे (जिल्ला)

आंध्रप्रदेश - 524 412

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कॉलम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर / प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु / प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कॉलम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s Srikar Enterprises Pvt Ltd

Survey No 856/2, Thikkavaram (village)

Chilakur (Mandal)

SPSR Nellore (Distt)

Andhra Pradesh – 524 412

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ ये अधिकार और बाध्यताएँ हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नियत फीस सम्यक् रीति से और नियत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की संतुष्टि के अनुरूप चलाएगा।

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 31-08-2017 से 30-08-2018 तक विधिमान्य रहेगी और विनियमों में विहित रूप में नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from 31-08-2017 to 30-08-2018 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

Signed, Sealed and Dated

दिन हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित

01/09/17

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS



प्रमुख


विशाखापट्टनम शाखा कार्यालय

HEAD

Visakhapatnam Branch Office



प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिह्नः STANDARD MARK (1)	वस्तु / प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
IS 2185  CM/L - 6600035812	कंक्रीट की चिनाई वाली इकाइयाँ भाग - 3 ऑटोक्लेव सोलुलर (ऐरिथेटेड) कंक्रीट ब्लॉक घनत्व = 551 से 650 kg/m ³ , ग्रेड - 2 Concrete Masonry Units Part 3 Autoclaved Cellular Aerated Concrete Blocks, Density = 551 to 650 Kg/m ³ , Grade -2	कंक्रीट की चिनाई वाली इकाइयाँ भाग - 3 ऑटोक्लेव सोलुलर (ऐरिथेटेड) कंक्रीट ब्लॉक IS 2185 (Part 3): 1984 Concrete Masonry Units Part 3 Autoclaved Cellular Aerated Concrete Blocks

मानकः पथप्रदशकः

द्वितीय अनुसूची

THE SECOND SCHEDULE

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 6600035812 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 6600035812

वस्तु / प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की रीती MANNER OF PAYMENT (4)
<p>कंक्रीट चिनाई इकाइयाँ</p> <p>भाग - 3 ऑटोक्लेव सोलुलर (ऐरिथेटेड) कंक्रीट ब्लॉक</p> <p>घनत्व = 551 से 650kg/m³, ग्रेड - 2</p> <p>Concrete Masonry Units Part 3 Autoclaved Cellular Aerated Concrete Blocks</p> <p>= Density in oven dry condition 551 to 650Kg/m³ Grade -2</p>	<p>दाश</p> <p>सी यू . एम</p> <p>10</p> <p>CU.M</p>	<p>पहली 1000 इकाइयों के लिए रु . 17.3 की दर से, शेष सभी इकाइयों के लिए रु 8.7 की दर से, न्यूनतम शुल्क रु 48000/- एक वर्ष की प्रचालन अवधि के लिए शुल्क देय होगी।</p> <p>Rs.17.3 per unit for the first 1000 units; Rs.8.7 for the remaining units with a minimum marking fee of Rs.48000/- for an operative period of one year</p>	<p>क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s).</p> <p>ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, विशाखा में देनी होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अंतिम तीन महीने और चार अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देनी होगी।</p> <p>(b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Vishakhapatnam at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months /period consisting of last three months of previous operative period and first nine months of the current operative period or the minimum fee, whichever is higher, shall be payable.</p>

दिन हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित

Signed, Sealed and Dated

01/09/17

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से

For BUREAU OF INDIAN STANDARDS



प्रमुख

विशाखापट्टनम शाखा कार्यालय

HEAD

Visakhapatnam Branch Office